

प्रेषक,

राम केवल,
विशेष सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,

बाराबंकी, शामली, चित्रकूट, बुलन्दशहर, बरेली, बलरामपुर, गोरखपुर, पीलीभीत, महोबा, कन्नौज, फिरोजाबाद, मिर्जापुर, लखनऊ, अम्बेडकर नगर, सीतापुर एवं श्रावस्ती।

राजस्व अनुभाग-10

लखनऊ: दिनांक: 20 जुलाई, 2024

विषय:- वित्तीय वर्ष 2024-25 में इबकर होने वाली मृत्यु से प्रभावित होने वाले व्यक्तियों/परिवारों को राहत सहायता प्रदान किये जाने के लिए राज्य आपदा मोचक निधि से धनावंटन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अधिसूचना सं०-387/एक-11-2021-4(जी)/2015, दिनांक 09.06.2021 द्वारा कुआं, नदी, झील, तालाब, पोखर, नहर, नाला, गड्ढा, जल प्रपात में डूब कर होने वाली मृत्यु को राज्य आपदा घोषित किया गया है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में राज्य सरकार द्वारा घोषित आपदा से प्रभावित होने वाले व्यक्तियों/परिवारों को राहत प्रदान किये जाने हेतु निम्नलिखित विवरण तथा शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन ₹० 1016.00 लाख (₹० दस करोड़ सोलह लाख मात्र) की धनराशि निम्न तालिका के कॉलम-2 में अंकित जनपदों के सम्मुख कॉलम-4 में अंकित धनराशि संबंधित जनपदों के जिलाधिकारियों के निर्वर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदया सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं:-

क्र०	जनपद का नाम	मद-09	स्वीकृत की जाने वाली धनराशि (₹० में)
1	2	3	4
1	बाराबंकी	इबकर होने वाली मृत्यु	1,00,00,000.00
2	शामली	इबकर होने वाली मृत्यु	40,00,000.00
3	चित्रकूट	इबकर होने वाली मृत्यु	50,00,000.00
4	बुलन्दशहर	इबकर होने वाली मृत्यु	60,00,000.00
5	बरेली	इबकर होने वाली मृत्यु	50,00,000.00
6	बलरामपुर	इबकर होने वाली मृत्यु	1,00,00,000.00
7	गोरखपुर	इबकर होने वाली मृत्यु	1,00,00,000.00
8	पीलीभीत	इबकर होने वाली मृत्यु	60,00,000.00
9	महोबा	इबकर होने वाली मृत्यु	75,00,000.00
10	कन्नौज	इबकर होने वाली मृत्यु	30,00,000.00
11	फिरोजाबाद	इबकर होने वाली मृत्यु	37,00,000.00
12	मिर्जापुर	इबकर होने वाली मृत्यु	50,00,000.00
13	लखनऊ	इबकर होने वाली मृत्यु	4,00,000.00

14	अम्बेडकर नगर	इबकर होने वाली मृत्यु	60,00,000.00
15	सीतापुर	इबकर होने वाली मृत्यु	1,00,00,000.00
16	श्रावस्ती	इबकर होने वाली मृत्यु	1,00,00,000.00
योग			10,16,00,000.00

नियम व शर्तें/प्रतिबन्धों

(1) स्वीकृत धनराशि आहरित करके बैंक खाते में नहीं रखी जायेगी अपितु आपदा से प्रभावित व्यक्तियों/परिवारों को राहत सहायता प्रदान किये जाने हेतु शासन की शीर्ष प्राथमिकता के दृष्टिगत स्वीकृत की जा रही धनराशि का पारदर्शी एवं त्वरित ढंग से वितरित किये जाने हेतु वित्त विभाग के शासनादेश सं०-ए-1-803/दस-2013-10(28)/2011, दिनांक 10.10.2013 (उक्त शासनादेश पूर्व में सभी मण्डलायुक्त/जिलाधिकारीगण को प्रेषित किया जा चुका है, जिसे राहत की वेबसाइट पर देखा एवं प्राप्त किया जा सकता है) में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सम्बन्धित जनपदीय कोषागार से सीधे लाभार्थी के बैंक खातों में ई-पेमेन्ट (डी.वी.टी.) के माध्यम से ही भुगतान सुनिश्चित किया जाये।

(2) जिस मद में शासन द्वारा धनराशि स्वीकृत की जा रही है उसी मद में इस धनराशि का उपयोग किया जायेगा। अन्य किसी भी मद/विभागीय कार्य हेतु धनराशि का व्यय कदापि न किया जाये। जनपद द्वारा टी.आर.-27 से आहरित धनराशि का प्रथमतः समायोजन किया जायेगा।

(3) भारत सरकार के पत्र सं०-33-03/2020-NDM-1 दिनांक 11.07.2023 द्वारा आपदा से प्रभावितों को राहत सहायता वितरित करने के निर्देश एवं मानक दरें निर्धारित की गयी हैं। जनपद उक्त आवंटित धनराशि का वितरण भारत सरकार के उपरोक्त पत्र के अनुसार दिये गये निर्देशों एवं मानक दरों के आधार पर करेंगे।

(4) राज्य आपदा मोचक निधि की धनराशि का व्यय सक्षम अधिकारी द्वारा वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त नियमानुसार प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए निर्धारित अवधि के अन्दर किया जायेगा।

(5) निधि से प्रदत्त धनराशि आपदा राहत हेतु प्रदान की जाती है। अतः आपदा के अनुसार राहत की आवश्यकता का निर्धारण करना तदुसार धन उपलब्ध कराना तथा इसका सदुपयोग सुनिश्चित करना, व्यय का पूर्व विवरण शासन की निर्धारित तिथि तक उपलब्ध कराना जिलाधिकारी का कर्तव्य है। अतः आपदा मोचक निधि से प्रदत्त धनराशि का प्रत्येक स्तर पर पूर्ण सजगता के साथ समुचित उपयोग सुनिश्चित किया जाये।

(6) राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशि का जिला स्तर पर समुचित लेखा-जोखा रखा जाये तथा माह के अंत में जिलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित मदवार मासिक व्यय विवरण निर्धारित प्रारूप पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाये।

(7) राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशियों के उपभोग/समर्पण के संबंध में शासनादेश सं०-2/1-11-2013-रा०-11, दिनांक 04.03.2013 का अनुपालन किया जायेगा। शासन द्वारा स्वीकृत धनराशि में से यदि कोई वचन/अवशेष की स्थिति बनती है तो उसे वित्तीय वर्ष के समापन/दिनांक 31 मार्च, 2025 से पूर्व शासन को नियमानुसार समर्पित कर दिया जाये।

(8) उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण-पत्र वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-369-एच के अधीन निर्धारित प्रारूप सं०-42 आई में शासन को उपलब्ध कराया जाये।

(9) व्यय की गयी धनराशि महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तान्कन कराया जाये और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाये।
2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय ₹0 1016.00 लाख (₹0 दस करोड़ सोलह लाख मात्र) चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 051 लेखा शीर्षक 2245058000609 राज्य सरकार द्वारा घोषित अन्य आपदा से राहत हेतु स्टेट डिजास्टर रिस्पांश फण्ड से व्यय मानक मद 42 अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय जाप संख्या-1/2024/वी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनांक 04 मार्च, 2024 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत

निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

Signed by

Ram Kewal

Date: 29-07-2024 11:47:15

(राम केवल)

विशेष सचिव।

संख्या- 1254 (1)/एक-10-2024, तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार प्रथम/आडिट प्रथम, 30प्र0 प्रयागराज।
- 2- सम्वन्धित मण्डलायुक्त, 30प्र0।
- 3- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद्, 30प्र0, लखनऊ।
- 4- विशेष सचिव/नोडल अधिकारी, वजट आवंटन (ई-वजट), राजस्व विभाग, 30प्र0 शासन।
- 5- वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त संगठन, 30प्र0।
- 6- सम्वन्धित जनपद के कोषाधिकारी/मुख्य कोषाधिकारी, 30प्र0।
- 7- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5
- 8- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(शैलेन्द्र मणि त्रिपाठी)

अनु सचिव ।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2024-2025
आवंटन दिनांक-30/07/2024

प्रेषण संख्या:- 1254
आवंटन आदेश संख्या:- 001-1254
अनुदान संख्या:- 51 राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत)(वित्तीय वर्ष 2024-2025 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 2245 - प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत(आयोजनेत्तर-मतदेय)
05 - स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड
800 - अन्य व्यय
06 - स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड से व्यय
09 - राज्य सरकार द्वारा घोषित अन्य आपदाओं हेतु स्टेट डिजास्टर रिस्पान्स फण्ड से व्यय
(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		42-अन्य व्यय	योग
1	बुलन्दशहर-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रणामी	6000000 29086634	6000000 29086634
2	बरेली-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रणामी	5000000 19000000	5000000 19000000
3	पीलीभीत-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रणामी	6000000 33734245	6000000 33734245
4	मिर्जापुर-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रणामी	5000000 26700000	5000000 26700000
5	गोरखपुर-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रणामी	10000000 26200000	10000000 26200000
6	लखनऊ कलेक्ट्रेट -4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रणामी	400000 9400000	400000 9400000
7	सीतापुर-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रणामी	10000000 44000000	10000000 44000000
8	बाराबंकी-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रणामी	10000000 46000000	10000000 46000000
9	फिरोजाबाद-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रणामी	3700000 18900000	3700000 18900000
10	महोबा-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रणामी	7500000 27500000	7500000 27500000
11	अम्बेदकर नगर-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रणामी	6000000 22500000	6000000 22500000
12	बलरामपुर-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रणामी	10000000 26000000	10000000 26000000
13	कन्नौज-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रणामी	3000000 10800000	3000000 10800000
14	श्रावस्ती-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रणामी	10000000 26000000	10000000 26000000
15	चित्रकूट-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रणामी	5000000 21000000	5000000 21000000
16	शामली-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रणामी	4000000 10600000	4000000 10600000
	योग	वर्तमान प्रणामी	101600000 397420879	101600000 397420879

महायोग- (वर्तमान आवंटन):-
महायोग- (प्रणामी आवंटन):-

रूपया दस करोड़ सोलह लाख
रूपया उनतालीस करोड़ चौहत्तर लाख बीस हजार आठ सौ उन्नासी


(संतोष कुमार)
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी
राहत आयुक्त संगठन